~~नैतिक~~ PHILOSOPHY

B.A. (Hons.), Paper III (Part II)

Moral Judgement

Dr. S. K. Singh
Mob.-9431449951

→ नैतिक निर्णय ऐसी क्रिया है जिसमें मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का किसी मापदण्ड से तुलना कर हम मूल्यांकन करते हैं।

→ निर्णय दो प्रकार के होते हैं— (i) वास्तविकता सूचक निर्णय (Judgement of fact) और (ii) मूल्य विषयक निर्णय (Judgement of Value)।

→ वास्तविकता सूचक निर्णय वर्णनात्मक (Discriptive) होता है जबकि मूल्य विषयक निर्णय समालोचनात्मक होता है, यह वस्तुओं का मूल्य आंकता है। पहला तार्किक निर्णय है और दूसरा नैतिक निर्णय।

→ इस प्रकार तार्किक निर्णय वर्णनात्मक (वास्तविकता सूचक) होता है जबकि नैतिक निर्णय मूल्यार्थक।

→ नैतिक निर्णय आदर्श निर्देशक (Normative) तथा व्यावहारिक (Practical) होता है। नैतिक निर्णय में हम किसी नैतिक मापदण्ड या आदर्श से कर्मों की तुलना करके यह निर्णय करते हैं कि उसे कैसा होना चाहिये। इसमें हमें आचरण के आदर्श का संकेत मिलता है। अतः यह आदर्श निर्देशक है।

→ नैतिक निर्णय से हमें इस बात का भी संकेत मिलता है कि हमारे कर्म को कैसा होना चाहिये, हमें किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिये, इसलिये नैतिक निर्णय नियामक भी है।

→ नैतिक निर्णय का संबंध नैतिक आचरण या व्यवहार से ~~है~~ है। यह हमारे कर्मों का ही निर्णय करता है कि वह कैसा हो। अतः नैतिक निर्णय व्यावहारिक भी है।

→ नैतिक निर्णय में नैतिक नियमों को कर्म-विशेष पर लागू कर निष्कर्ष निकाला जाता है, अतः अनुमानजन्य है; पर अनुमान की क्रिया नैतिक-निर्णय में अधिकतर स्पष्ट (Explicit) नहीं होती। केवल बहुत जटिल समस्याओं में ही स्पष्ट रूप से कर्म की तुलना नैतिक आदर्श से की जाती है; अर्थात् अनुमान की क्रिया व्यक्त रहती है अन्यथा नैतिक निर्णय अन्तःअनुभूति से ही सुलभ हो जाती है। अतः नैतिक निर्णय विचार-जन्य (Discursive) नहीं बल्कि अनुभूतिजन्य (Intuitive) होते हैं। अनुमान की क्रिया ~~के~~ इसमें व्यक्त नहीं, अव्यक्त रहती है।

Scanned with CamScanner

→ नैतिक-निर्णय बौद्धिक (Intellectual) होता है, नैतिक (Ethical) नहीं। नैतिक-निर्णय में किसी मापदण्ड की दृष्टि से कर्म-विशेष में नैतिक गुणों का भाव या अभाव देखा जाता है। यह एक प्रकार का गुण है। नैतिक निर्णय में भूल हो जा सकती है या वह ठीक हो सकता है, उसे उचित-अनुचित नहीं कहा जा सकता है। पर, यदि नैतिक निर्णय में जान-बूझकर किसी गलत सिद्धान्त को लागू कर गलती कर दें तो उसे उचित-अनुचित कहा जायेगा अन्यथा नहीं।

→ नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय (Intention) है। कर्मों के फल, नैतिक निर्णय का आधार नहीं हो सकता (जैसा कि सुखवादी मानते हैं) क्योंकि नैतिक और नीतिशून्य कर्म में कोई अन्तर ही नहीं रह जायेगा)

→ ~~प्रयोजन~~ केवल प्रयोजन के आधार पर ही किसी कर्म के नैतिक गुण का निर्णय ~~हो सकता है~~ नहीं हो सकता; प्रयोजन (motive) और साधन (means) - दोनों ही किसी कर्म की नैतिकता के निर्णय का आधार होता है। प्रयोजन और साधन के विचार को ही अभिप्राय (Intention) कहा जाता है। अतः नैतिक निर्णय का विषय अभिप्राय है।

→ मनुष्य का अभिप्राय उसके विचार, चुनाव, उसकी इच्छाओं आदि का फल है अर्थात् उसके चरित्र पर निर्भर है। किसी का अभिप्राय (Intention) प्रायः वैसा ही होता है जैसा उसका चरित्र है। अभिप्राय तो चरित्र का व्यक्त रूप है जो उसके आचरण में दृष्टिगत होता है। अतः अभिप्राय के नैतिक निर्णय का अर्थ है - चरित्र का नैतिक निर्णय और चरित्र तो व्यक्ति का स्व (Self) है; हमारे चरित्र के निर्णय करने का अर्थ है - 'हमारा' निर्णय करना। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि नैतिक निर्णय किये गये कर्मों का नहीं, अपितु कर्ता का होता है।

→ अब प्रश्न है कि क्या अभिप्राय ही, जो मानसिक क्रिया है, नैतिक निर्णय का विषय है या अभिप्राय के बाह्य शारीरिक क्रिया में परिणत होने पर ही उसका नैतिक निर्णय होता है?

वस्तुतः अभिप्राय (Intention) अर्थात् मन का संकल्प तो स्वयं एक क्रिया है। 'अभिप्राय' में भी व्यक्ति की इच्छा, चुनाव, प्रयोजन (motive), साधन का विचार आदि का समावेश है। अतः केवल अभिप्राय का ही नैतिक मूल्य है, और इसलिये केवल अभिप्राय का ही नैतिक निर्णय हो सकता है।

Scanned with CamScanner